पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

सभी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर सैनेटाइजर की उपलब्धता करें सुनिश्चित

सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के उपरांत ही पी0ओ0एस0 मशीन में अंगूठा लगायें किसान

लखनऊः 20 मार्च 2020

प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सभी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर सैनेटाइजर आवश्यक रूप से रखा जाय। साथ ही किसानों को उर्वरकों की बिक्री के समय सैनेटाइज किया जाय। श्री शाही ने बताया कि किसानों को उर्वरक खरीदने हेतु पी0ओ0एस0 मशीन पर अंगूठा लगाना होता है, ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर सैनेटाइजर की उपलब्धता आवश्यक है।

कृषि मंत्री के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने–अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र पर सेनेटाइजर (Sanitizer) आवश्यक रूप से रखें एवं उर्वरक क्रय हेतु आने वाले किसानों को सर्वप्रथम सेनेटाइजर का इस्तेमाल कराने के उपरांत ही पी0ओ0एस0 मशीन में अपना अंगूठा लगवाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सम्पर्क :
सूचना अधिकारी : अमित कुमार शुक्ला

राम यतन/05:.10 PM